न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 27 / 2024

प्रार्थी –	*बनाम*	अप्रार्थीगण –
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर		1. बाबुलाल विश्नोई पुत्र वारसिंगाराम जाति विश्नोई निवासी सुनारों की बेरी, धोरीमन्ना जिला बाडमेर (मैसर्स भाखर दूध डेयरी एण्ड मावा भण्डार, सुनारो की बेरी, रोहिला तह. धोरीमन्ना जिला बाडमेर का विक्रेता एवं मालिक)(जो कि भागीरथ विश्नोई की बोलेरो कैम्पर गाडी GJ08CC3036 पर था, हाल जम्बशक्ति होटल के पास, धोरीमन्ना SST4 चैकिंग दल)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री गंगाराम विश्नोई उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 27.01.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दिनांक 09[illegible] को श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाडमे[illegible]ाईल पर सूचना दी कि धोरीमन्ना स्थित SST4 चैकिंग दल ने [illegible] गाडी में संदेहप्रद मिलावटी मावा पकडा है, जिसमें प्रार्थी नियमानुसार कार्यवाही करें। प्रार्थी द्वारा उक्त दिनांक को धोरीमन्ना SST4 चैकिंग दल पहुंचकर विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **मावा** जो कि बोलेरो कैम्पर गाडी GJ08CC3036 में 40–40 किलो के 05 प्लास्टिक कट्टे पड़े

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:50:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

न्याय निर्णयन अधिकारी एव अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

थे, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **02 किलो मावा** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–2387** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **मावा** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा रिपोर्ट दिनांक **28.11.2023** में उक्त खाद्य पदार्थ **मावा** का नमूना को **असुरक्षित खाद्य (Unsafe food)** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नमूना की जांच निर्दिष्ट प्रयोगशाला से कराये जाने का निवेदन किया गया। इस पर उक्त नमूना जांच हेतु निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसुर को भिजवाया गया जिसमें जांच उपरान्त रिपोर्ट दिनांक **17.04.2024** में उक्त नमूना **अवमानक (Substandard)** स्तर का पाया गया है। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में बताया कि अप्रार्थी स्वयं मिठाई का निर्माण या कार्य नहीं करता है। वह स्थानीय दुकानदारों से मिठाई क्रय कर अपने स्तर पर उनका बेचान करता है। अप्रार्थी ने मिठाईयों का निर्माण स्वयं नहीं किया है इसलिए अप्रार्थी उसमें उपयोग में सहायक सामग्री के मापदण्ड व गुणवत्ता से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ था एवं अप्रार्थी ने जानबूझकर किसी प्रकार की अनियमितता व लापरवाही नहीं बरती है।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या 2 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **17.04.2024** में उक्त नमूना **अवमानक (Substandard)** स्तर का पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार **BR of extracted fat at 40^0 C** जिसका मानक स्तर 40.0–44 के मुकाबले [illegible] गया है, जो कि मानक स्तर का नहीं है। इस पर पदाभिहित [illegible] धारा 46 की उप–धारा 4 के अधीन नोटिस ज[illegible] अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब एतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। [illegible] ओर से यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा अपने प्रतिरक्षण में जवाब दिया गया किअप्रार्थी स्वयं मिठाई का निर्माण या कार्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:50:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

नहीं करता है। वह स्थानीय दुकानदारों से मिठाई क्रय कर अपने स्तर पर उनका बेचान करता है। अप्रार्थी ने मिठाईयों का निर्माण स्वयं नहीं किया है इसलिए अप्रार्थी उसमें उपयोग में सहायक सामग्री के मापदण्ड व गुणवत्ता से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ था एवं अप्रार्थी ने जानबूझकर किसी प्रकार की अनियमितता व लापरवाही नहीं बरती है। अप्रार्थीगण द्वारा अपने प्रतिरक्षण में कोई ठोस एवं तथ्यात्मक जवाब नहीं दिया है जो उनके द्वारा कारित अपराध की मौन जुर्म स्वीकारोक्ति है। अप्रार्थीगण जो खाद्य पदार्थ अपने प्रतिष्ठान में रखकर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा है तो उसकी गुणवता के लिए उसका उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थीगण का है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप से **रूपये 50,000/-** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

5. आदेश आज दिनांक 27.01.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:50:27 IST
Reason: SelfAttested